

मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

भोपाल, दिनांक 17/06/2021

क्रमांक एफ 16-06/2021/ए-ग्यारहः राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स जे.के. सेम लि. द्वारा पन्ना जिले में रु. 2073.29 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से 2.48 मिलियन टन क्लिंकर एवं 1 मिलियन टन सीमेंट प्रतिवर्ष क्षमता का ग्रीन फील्ड सीमेंट परियोजना स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर निम्नानुसार सुविधाएं दी जाये:-


1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता** - यंत्र, संयंत्र तथा भवन में किये गये निवेश पर 20 प्रतिशत की स्थिर दर से 7 समान वार्षिक किस्तों में शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये। इकाई को कुल सहायता की सीमा रूपये 300 करोड़ से अधिक नहीं होगी। मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत वाहनों के उपयोग किए जाने की अंडरटेकिंग (घोषणा पत्र) प्रस्तुत किए जाने पर क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने के दृष्टिगत विचारोपरान्त अतिरिक्त रूप से निवेश पर रोजगार गणक की पात्रता शर्तों के अध्याधीन प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई। अन्य प्रावधान शर्तों के अध्याधीन होगी।
2. **अधोसंरचना विकास सहायता** - उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2020) के प्रावधान अनुसार शर्तों के अध्याधीन देय होगी।
3. **हरित औद्योगिकीकरण हेतु सहायता** - उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2020) के प्रावधान अनुसार शर्तों के अध्याधीन देय होगी।
4. **विद्युत टैरिफ में रियायत** - इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 07 वर्ष हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रूपये 1/- प्रति यूनिट की छूट दी जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपी आईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।
5. **विद्युत शुल्क से छूट** - इकाई द्वारा लिये गये नवीन विद्युत कनेक्शन पर वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 10 वर्ष हेतु विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की जाये।
6. **स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति** - परियोजना स्थापना हेतु क्रय/लीज भूमि पर देय स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति एमपी आईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।
7. **माईनिंग लीज अनुबंध पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति** - परियोजना हेतु मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त माईनिंग लीज के अनुबंध पर देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।
8. **डायवर्सन शुल्क से छूट** - परियोजना हेतु निजी भूमि क्रय करने पर भुगतान की गई डायवर्सन शुल्क की प्रतिपूर्ति एमपी आईडीसी द्वारा की जाये।
9. परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2020) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।

निरंतर.....

10. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से, प्रतिबद्ध निवेश के साथ, 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।
11. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(संजय कुमार शुक्ल)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

भोपाल, दिनांक 17/06/2021

पृ.क्रमांक क्रमांक एफ 16-06/2021/ए-ग्यारह
प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्व विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, सागर संभाग सागर।
4. कलेक्टर, जिला - पन्ना।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिभोपाल। .
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मैनेजिंग डायरेक्टर, मेसर्स जे.के. सेम लि., कमला टॉवर, कानपुर - 208001।

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग